

# फर्ट अहकाम

य ~~24/04/24 मन्दिरी चण्ड जिला जयपुर~~

~~उमरशीलाय बनाम राजा सम्भार~~

संख्या / वर्ष

/20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/2/24	<p>पत्रावली पेश की गयी</p> <p>23/4/24</p>	
23/4/24	<p>पत्रावली पेश की गयी वादी अधिवक्ता स्व. एल. शर्मा उप. बहल वकील वादी की लुनी गरी वाल्मि आदेश पत्रावली दिनांक 20/4/24 को पेश है</p>	
30/4/24	<p>पत्रावली वाल्मि आदेश पेश की गयी यह वादी वाद वादी ने वाल्मि नक्शा दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज. छात्रकारी अधिनियम पेश कर प्रतिवादी सरकार जैसे तहसीलदार तह. चण्ड जिला जयपुर ग्रामीण पेश को खतरा न. 5174 रकबा 0.11 हे. गाम कोट्यावदा तह कोट्यावदा का नक्शा राजस्व नम्बरा शुद्ध करने की इत्तदुजा की है</p> <p>वादी ने यह वाद राज. सरकार से विरुद्ध</p>	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>पेश किया है एवं अनुलोष भी राज्य सरकार ले चाहा है इतिहास वादी को धारा 80 CPC के अधिनियम अनुपालना में राज्य सरकार को अग्रिम नोटिस दिया जाना आवश्यक था।</p> <p>वादी की ओर ले धूपड़ ले कोर्ट धारणा - पर अन्तर्गत धारा 80(2) CPC पेश नहीं किया है।</p> <p>अतः गुणावतुण पर विचार लिए बिना यह वाद धारा 80 CPC के अधिनियमों ले बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।</p> <p>डिस्ट्री पचा जा रही है। पहावती केवल शुमार दोकर दर्ज नम्बर लेऊ है।</p> <p style="text-align: right;">B.L. उपस्थित अधिकारी जिला न्यायालय (मुंबई)</p>